

छत्तीसगढ़ वन अधिकार क्रयिन्वयन में देश में अग्रणी

चर्चा में क्यों?

26 दसिंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंप्रक वभिग से मली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य देश में वन अधिकार अधनियम के क्रयिन्वयन में अग्रणी राज्य है।

प्रमुख बातें

- जानकारी के अनुसार राज्य में वगित चार वर्षों में 54 हजार 518 वयक्तिगत वन अधिकार पत्र वतिरति कये गए, जसिका कुल रकबा 30 हजार 46 हेक्टेयर है। इसी प्रकार सामुदायक वन अधिकार के 23 हजार 982 वन अधिकार-पत्र वतिरति कये गए हैं, जसिका कुल रकबा 11 लाख 77 हजार 212 हेक्टेयर है।
- देश में नगरीय क्षेत्र में वन अधिकारों की मान्यता दिये जाने में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। अब तक 266 वयक्तिगत वन अधिकार-पत्र, 7 सामुदायक वन अधिकार-पत्र और 4 सामुदायक वन संसाधन अधिकार-पत्र राज्य के नगरीय क्षेत्रों में प्रदाय कये गए हैं।
- राज्य शासन द्वारा सामुदायक वन संसाधन अधिकारों के क्रयिन्वयन में भी पहल की गई है। अब तक ज़िलों में 3 हजार 845 सामुदायक वन संसाधन अधिकार मान्य कये गए हैं। इसके अंतर्गत 16 लाख 60 हजार 301 हेक्टेयर भूमि के संरक्षण, प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभाओं को प्रदाय कया गया है।
- राज्य शासन द्वारा स्थानीय वन नविसी समुदायों के वभिन्न वनाधिकारों को मान्यता दिये जाने की दशा में प्रतबिद्धतापूर्वक सतत प्रयास कये जा रहे हैं, ताकिवन अधिकार अधनियम, 2006 में वर्णित वभिन्न प्रकार के वनाधिकार उन्हें प्राप्त हो सके।
- अधनियम के अनुसार वनभूमिपर अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन नविसी आवेदक द्वारा कबज़े का दावा करने के लिये 13 दसिंबर, 2005 कट ऑफ डेट नरिधारति है। अन्य परंपरागत वन नविसी आवेदक के मामले में कट ऑफ डेट पूर्व से ही तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से संबंधित ग्राम, वन भूमि में नविसरत होना आवश्यक है।
- राज्य शासन की पहल से स्थानीय वन नविसी समुदायों के लिये संबंधित ग्राम सभाओं को सामुदायक वन संसाधन अधिकार को मान्यता दी जा रही है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में वभिन्न वन अधिकार पत्रों का वतिरण कया जा रहा है।
- मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल के नरिदेश पर राज्य में वभिन्न कारणों से नरिस्त वन अधिकार के दावों पर पुनर्व्याचार की कार्यवाही की जा रही है। वन अधिकार अधनियम के तहत वतिरति भूमि का रकिंड समय-समय पर दुरुस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
- वन अधिकार प्राप्त लाभारथी को पोस्ट क्लेम स्पोर्ट के रूप में उनकी कृषि को वकिसति करने के साथ ही आजीविका के वभिन्न उपायों, जैसे- कुकून, टसरक्राप्स, लाख उत्पादन इत्यादि के माध्यम से लाभान्वति करने की दशा में कार्य हो रहा है।
- छत्तीसगढ़ में वशिष रूप से कमज़ोर जनजातियों को प्रयावास के अधिकार प्रदाय करने की कार्यवाही धमतरी ज़िले में शुरू की गई है। सामुदायक वन संसाधन अधिकार मान्य करने की शुरुआत धमतरी ज़िले के जबरा गाँव से की गई। ग्राम सभा जबरा को 5352 हेक्टेयर वनभूमिपर सामुदायक वन संसाधन अधिकार की मान्यता दी गई है। इसी प्रकार कांकर ज़िले के खेरखेड़ा ग्राम में 1861 हेक्टेयर वन भूमिपर सामुदायक वन संसाधन अधिकार की मान्यता दी गई है।
- वन अधिकार कानून के तहत प्रबंधन का बेहतर क्रयिन्वयन करते हुए सामुदायक वन संसाधन के तहत वभिन्न गतविधियों की जा रही हैं। जंगल के प्रबंधन के साथ-साथ बाँस का शेड एवं मचान बनाकर देशी बकरीपालन, मुर्गीपालन, खरगोशपालन, सुअरपालन, मछलीपालन आदि कार्य कया जा रहा है। साथ ही खरीफ फसल जैवकि जमीकंद, हल्दी बीज का उपचार कर तकनीकी वधि इंटरक्रॉपगि से बुआई की जा रही है और बीज बैंक की स्थापना भी की गई है। इसके उपरांत वन संसाधन के संरक्षण, प्रबंधन पर वशिष बल दिया जा रहा है।
- वन अधिकार प्राप्त हतिग्राहियों को आजीविका के लिये मतस्य एवं जलाशयों के अन्य उत्पाद, चारागाह के उपयोग के लिये वन अधिकार दिये जाने हेतु वशिष प्रयास कये जा रहे हैं। शासकीय योजनाओं के अभसिरण से व्यक्तिगत वन अधिकार-पत्र धारकों को दावा पश्चात् सहायता यथा भूमि समतलीकरण, मेझ-बंधान, खाद-बीज, सचिर्लाई उपकरण संबंधी सहायता भी प्रदान की जा रही है। साथ ही इन्हें प्रधानमन्त्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं कसिन सम्मान नधियोजना से भी लाभान्वति कया जा रहा है।

